

०४/०६/५६

वकील प्रदीप कुमार) वकील प्रदीप
ने निवेदन किया कि प्रदीप व अन्य
परिवार के अथवा शहीदा के पुत्र
को अर्पण कराने का काम करने वाले
हैं। अतः वकील प्रदीप के निवेदन
को अर्पण कराने का काम करने वाले को
अर्पण दिया जाये। अतः
अर्पण कराने का काम करने वाले को
अर्पण दिया जाये। अतः

उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ़

अर्पण कराने वाले
को अर्पण कराने वाले